-:निर्णय:-

दिनांक 08.10.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का डाक का पता उपरोक्त शीर्षक मे अंकित है, जो सही है।

यह कि वाद पत्र मे वर्णित भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व वादी संख्या 2 के पति प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिह के नाम से चक 33 एसएसडबल्यू खाता संख्या 179/31 की 1.619 है. व इसी चक के खाता संख्या 61/134 की 7.578 है0 दोनो खातो की कुल 9.197 है0 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसकी तफसील आराजी निम्न प्रकार से है:-

चक 33 एसएसडबल्यू प.न. 90/300 मु.न. 01 कि.न. 6/2/.0760, 7/1/.0760, 8/2/.0760, 9/1/.0760, 12/1/.2020, 13/2/.202, 14/1/.2020, 15/2/.203, प.न. 94/308 मु.न. 29 कि.न. 20/0.2530, 21/0.253 तादादी 1.6190 हैक्टेयर।

33 एसएसडब्लयू प.न. 91/301 मु.न. 05 कि.न. 7/2/.0950, 8/.2530, 9/.2530, 10/.2530, 14/1/.2390 प.न. 94/308 मु.न. 29 कि.न. 22/.2530, 23/0.253, 24/0. 2530, 25/1/.1450 प.न. 25/2/.0260 रास्ता प.न. 94/311 मु.न. 38 कि.न. 10/.2530, 11/.253, 12/.2530, 13/.253, 14/.2530, 15/1/.0215, 15/2/.0380 रास्ता, 16/1/. 02150, 16/2/.0380 रास्ता, 17/.2530, 18/.253, 19/.2530, 20/.2530, 21/.2530, 22/.253, 23/.2530, 24/.253, 25/1/.215, 25/2/.038 रास्ता प.न. 94/312 मु.न. 45 कि.न. 1/.253, 2/.253, 3/.2530, 4/.253, 5/1/.0228, 5/2/.0250 रास्ता 10/1/.2420

तादादी 7.5780 हैक्टेयर कुल तादादी 9.197 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है नकल जमाबंदी सलंग्न है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व मे ही घराघरू बंटवारा हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे कर दिया है। घरू बंटवारा मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा घरू बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक व हिस्सा एवं पारीवारिक समझौता मे प्राप्त भूमि की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है एवं इसी घराघरू बंटवारा मे प्राप्त भूमि को समतल एवं उपजाउ बनाया है परन्तु खाता संयुक्त रहने के कारण बिजली कनैक्शन एवं राजकीय सहायता डिग्गी निर्माण सोलर आदि सुविधाओं से वंचित रहना पडता है इसलिए मुताबिक घराघरू विभाजन घोषणा करवाकर भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है व घराघरू बंटवारा अनुसार खाता अलग अलग कायम करवाने के भी अधिकारी है।

क- वादी संख्या 1 हरपिन्दर सिह का कब्जा काश्त व पारिवारिक समझौता मे प्राप्त भूमि -
चक 33 एसएसडबल्यू प.न. 94/312 मु.न. 45 कि.न. 1, 2, 3, 4 प्रत्येक 0.2530 है. 5/1/.2280, 5/2/.0250 रास्ता 10/1/0.2420 कुल 1.507 हैक्टेयर।

ख- वादी संख्या 2 हरदीप कौर के हिस्सा कब्जा काश्त व पारिवारिक समझौता मे प्राप्त भूमि -
चक 33 एसएसडबल्यू प.न. 90/300 मु.न. 01 कि.न. 6/2/.0760 है0, 7/1/.0760 है0 8/2/.0760 है0, 9/1/.0760 है0 12/1/.2020 है0, 13/2/.2020 14/1/.2020 है0, 15/2/.2030 है0 प.न. 91/301 मु.न. 5 कि.न. 7/2/.0950, 8/.253, 9/.2530, 10/. 253, 14/1/.239 तादादी 2.206 हैक्टेयर।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारीवारिक समझौता हो चुका है वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि जो घराघरू बंटवारा मे वादीगण को प्राप्त हुई है तथा वादीगण के कब्जा काश्त मे है, वादीगण के नाम दर्ज करवा दे पहले तो वह टालमटोल करता रहे आखिर दिनांक 20-09-2025 को मुकाम श्याम सिह वाला मे स्पष्ट इन्कार हो गये यही विनाय मुखासमत दावा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 को बतौर भू-धारक वाद मे पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे-

क- कि वाद की मद संख्या 3 के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

ख- कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का खाता विभाजन कर खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए

(५)

जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:-

क- वादी संख्या 1 हरपिन्दर सिह का कब्जा काश्त व पारिवारिक समझौता मे प्राप्त भूमि - चक 33 एसएसडबल्यू प.न. 94/312 मु.न. 45 कि.न. 1, 2, 3, 4 प्रत्येक 0.253 है. 5/1/.228, 5/2/.025 रास्ता 10/1/0.242 कुल 1.507 हैक्टेयर।

ख- वादी संख्या 2 हरदीप कौर के हिस्सा कब्जा काश्त व पारिवारिक समझौता मे प्राप्त भूमि - चक 33 एसएसडबल्यू प.न. 90/300 मु.न. 01 कि.न. 6/2/.076 है0, 7/1/.076 है0 8/2/.076 है0, 9/1/.076 है0 12/1/.202 है0, 13/2/.202 14/1/.202 है0, 15/2/.203 है0 प.न. 91/301 मु.न. 5 कि.न. 7/2/.095, 8/.253, 9/.253, 10/.253, 14/1/.239 तादादी 2.206 हैक्टेयर। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ